RCMS नं० 2012/00026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— नरेन्द्र के.वर्मा (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:— 46/2012

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर

प्रार्थी

बनाम

(पूरन पुत्र लक्खा " मृतक " के कायम मुकाम)

1—चोवसिंह | | समस्त जातिगण लोधा
2—निहालसिंह | पुत्रगण स्व0 पूरन |
3—कलुआ | | निवासीगण ग्राम जागीरपुरा कलां
4—गजसिंह | | तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

5—कस्तूरी पुत्री पूरन " मृतक " के कायम मुकाम
5/1—दाऊदयाल पुत्र | कस्तूरी पत्नी अजमेरसिंह
5/2—सत्यपाल पुत्र |
5/3—सकुन्तला पुत्री | जाति लोधा
5/4—पिंकी पुत्री |
5/6—सीमा पुत्री | निवासीगण ग्राम जहानपुर तहसील मंनिया
5/7—विजय पुत्री | जिला धौलपुर

अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी 1लगा04 की ओर से — श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक 28.02.2020

तहसीलदार सैंपऊ द्वारा यह प्रार्थना पत्र रैफरेन्स अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

आराजी खसरा नम्बर 4006 रकवा 11 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम बसईनबाव बी तहसील सैपऊ मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन/नियमन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 278 वाके ग्राम वसईनबाव–बी में पूरन पुत्र लक्खा जाति लोधा निवासी जागीरपुरा कलां तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 4006मि. रकवा 06 विस्वा पर गैर खातेदार दर्ज हुआ। मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का पूरन की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान के नाम से रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान में जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ में आराजी खसरा नम्बर 6086/4006 रकवा 06 विस्वा अप्रार्थी मृतक पूरन पुत्र लक्खा जाति लोधा की गैरखातेदारी में दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण सिविल रिट (जनहित याचिका) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में खसरा नम्बर 6086/4006 रकवा 06 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पोखर होने के कारण पूर्व में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने योग्य है। वाद राज0सरकार की ओर से दर्ज कराया जा रहा है। अन्दर मियाद है तथा कोई शुल्क देय नही है। अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव–बी, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 ग्राम बसईनबाव तहसील सैपऊ, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ, नकल नामान्तरकरण संख्या 278 वाके ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगा0 4 की ओर से श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र रैफरेन्स का जबाव पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5/1 एवं 5/2 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 2.07.2015 को एवं अप्रार्थी संख्या 5/3 लगा0 5/6 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तलव किया गया बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 05.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 ने प्रार्थना पत्र रैफरेन्स का प्रस्तुत जबाव में कथन किया कि विवादित आराजी मौके पर गैरमुमकिन पोखर नहीं है जिसमें कभी पानी नहीं भरा तथा पोखर के रूप में कभी काम नहीं आयी बल्कि हमेशा काश्त होती चली आ रही है। विवादित आराजी पूरन पुत्र लक्खा कौम लोधा निवासी ग्राम जागीरकलां तहसील सैपऊ के हक में नियमानुसार दिनांक 18.2.1976 को उनके पुराने कब्जे काश्त के आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमन किया था और नियमन से पूर्व सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन का आदेश किया था। इन्तकाल नम्बर 278 ग्राम

अति. जिला कलक्टर
धौलपुर

वसईनबाव–बी श्रीमान एडीएम साहब धौलपुर के आदेशों संख्या 1232–34 की पालना में भरा गया है और उक्त जमीन की कीमत राज्य सरकार को अदा की गई थी। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान अपने ही आदेशों के विरूद्व रैफरेन्स नहीं कर सकते है। अतः रैफरेन्स कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण काबिल खारिजी है। उत्तरदाता पूरन के वारिसान है और उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। पूरन के हक में हुये नियमन आदेशों को किसी भी न्यायालय में म्याद के अन्दर चुनौती नहीं दी गई है। अतः नियमन का आदेश अंतिम हो चुका है जिसके विरूद्व रैफरेन्स कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। इस रैफरेन्स द्वारा नियमन आदेशों को निरस्त नही किया जा सकता है। दाखिल खारिज संख्या 278 उक्त नियमन आदेशों की पालना में भरा गया है और जब तक नियमन आदेश बहाल रहता तब तक दाखिल खारिज संख्या 278 को रैफरेन्स द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त रैफरेन्स कार्यवाही लगभग 37 सालो के पुराने दाखिल खारिज संख्या 278 के विरूद्व अब पेश की गई है जो म्याद के बिन्दू पर ही काबिल खारिजी के है। अतः रैफरेन्स कार्यवाही मौजूदा सूरत में काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रार्थी खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी आवटंन/नियमन से पूर्व उसकी किस्म गैर मुमकिन पोखर बिला लगानी दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 278 वाके ग्राम वसाईनबाव–बी तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाब, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो। इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। रैफरेन्स प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर प्रकरण स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रकरण में प्रस्तुत जबाव को ही अपनी बहस होना जाहिर किया। उन्होने अपने जबाव में कथन किया है कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन पोखर मौके पर नही रही और ना ही वर्तमान में मौके पर पोखर है बल्कि काश्त हो रही है। विवादित आराजी पर हमेशा से कृषि कार्य होता रहा है। विवादित आराजी पूरन पुत्र लक्खा कौम लोधा के हक में नियमानुसार

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

दिनांक 18.2.1976 को उनके पुराने कब्जे काश्त के आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमन किया था और नियमन से पूर्व सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन का आदेश किया था। इन्तकाल नम्बर 278 ग्राम वसईनबाव–बी श्रीमान एडीएम साहव धौलपुर के आदेशों संख्या 1232–34 की पालना में भरा गया है और उक्त जमीन की कीमत राज्य सरकार को अदा की गई थी। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान अपने ही आदेशों के विरूद्व रैफरेन्स नहीं कर सकते है। उत्तरदाता पूरन के वारिसान है और उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार के काविज है। पूरन के हक में हुये नियमन आदेशों को किसी भी न्यायालय में म्याद के अन्दर चुतौती नहीं दी गई है। अतः नियमन का आदेश अंतिम हो चुका है जिसके विरूद्व रैफरेन्स कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। इस रैफरेन्स द्वारा नियमन आदेशों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त रैफरेन्स कार्यवाही लगभग 37 सालो के पुराने दाखिल खारिज संख्या 278 के विरूद्व अब पेश की गई है जो म्याद के बिन्दू पर ही काबिल खारिजी के है। रेफरेन्स अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव–बी, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 ग्राम बसईनबाव तहसील सैपऊ, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ, नकल नामान्तरकरण संख्या 278 वाके ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ के अवलोकन से यह भलिभॉति सिद्व होता है कि विवादित आराजी आवटंन/नियमन से पूर्व उसकी किस्म गैर मुमकिन पोखर विला लगानी दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 278 वाके ग्राम वसईनबाव–बी तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का भराव में किसी प्रकार बाधा नही हो इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दिये निर्देश अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6086/4006 रकवा 06 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर का आवंटन/नियमन नल एण्ड वॉयड है उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 278 वाके ग्राम वसईनबाव–बी तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। जिसको कि निरस्त किया जाना हमारी राय में उचित प्रतीत होता है, जिसके सम्वन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित होगा।

अति. जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः सरकार बनाम चोवसिंह वगैरा
रैफरेन्स प्रकरण संख्या 46/2012

अतः ग्राम बसईनबाव–बी तहसील सैपऊ के आराजी खसरा नम्बर 6086/4006 रकवा 06 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर जिसका कि आवंटन/नियमन मृतक पूरन पुत्र लक्खा जाति लोधा निवासी जागीरपुरा कलां तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के हक में किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थीगण काबिज काश्त है जिसकी गैरखातेदारी अधिकार नामान्तकरण संख्या 278 ग्राम बसईनबाव–बी निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 01-04-2020 नियत की जाती है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेन्द्र कु0 वर्मा
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

(नरेन्द्र कु0 वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)